Regarding enactment of a Uniform Civil Code in the country

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): हमारे सविंधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश और समाज को सैकड़ो जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी और अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानूनों से न्याय पालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसके साथ देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी एवं राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कानून के समर्थक थे। हाल ही में दिल्ली एंव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की है। महोदय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ? धर्मनिरपेक्ष? शब्द सन्निहित है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है।